

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
जनपद शाहजहाँपुर।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद शाहजहाँपुर।

4031-2

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2019-20 / 01 / दिनांक 05.08.2019
विषय:-राज्य स्तरीय दल द्वारा 24 से 26 जुलाई, 2019 में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की
आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस0पी0एम0यू0 कार्यालय पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2019-20/18/2867-2
दिनांक 01-07-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा
दिनांक 24 से 26 जुलाई, 2019 तक जनपद शाहजहाँपुर की चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक
पर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद की चिकित्सा इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण के
दौरान प्रकाश में आये विन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ
संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित विन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: पर्यवेक्षण आख्या

भवदीया
(थमीम असरिया ए)
अपर मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2019-20 / 01

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल, बरेली, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिऽस्वा0 एवं प0क0, बरेली मण्डल, बरेली, उ0प्र0।
3. समरत महाप्रबन्धक / अनुमागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, बरेली मण्डल, बरेली, उ0प्र0।
5. रीजनल मैनेजर (आशा), संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बरेली।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, शाहजहाँपुर, उ0प्र0।

(घिवेक द्विवेदी)
महाप्रबन्धक प्रोफेयर मैट
मण्डलीय नोडल अधिकारी

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
जनपद शाहजहांपुर।
2. मुख्य विकित्साधिकारी,
जनपद शाहजहांपुर।

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019-20/01/ दिनांक 05.08.2019
विषय:-राज्य स्तरीय दल द्वारा 24 से 26 जुलाई, 2019 में किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की
आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस0पी0एम0यू0 कार्यालय पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2019-20/18/2867-2
दिनांक 01-07-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा
दिनांक 24 से 26 जुलाई, 2019 तक जनपद शाहजहांपुर की विकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक
पर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद की विकित्सा इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण के
दौरान प्रकाश में आये विन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ
संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित विन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: पर्यवेक्षण आख्या

भवदीया

(थमीम असरिया ए)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक:-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019-20/01/403)-७(6)
तददिनांक
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलायुक्त, वरेली मण्डल, वरेली, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, विझवाठ एवं प0क0, वरेली मण्डल, वरेली, उ0प्र0।
3. समस्त महाप्रबन्धक / अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, वरेली मण्डल, वरेली, उ0प्र0।
5. रीजनल मैनेजर (आशा), संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, वरेली।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, शाहजहांपुर, उ0प्र0।

५
(विवेक द्विवेदी)
महाप्रबन्धक प्रोफेसरमेंट
मण्डलीय नोडल अधिकारी

जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण

जनपद : शाहजहांपुर,

दिनांक : 24–26 जुलाई 2019

जनपद शाहजहांपुर की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की संक्षिप्त आख्या निम्नवत् है—

क्र.	चिकित्सा इकाई	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, ऑगनवाडी केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय, याकूबपुर दिनांक 24.07.2019 अपराह्न 2:15 बजे।	<p>सत्र सम्बन्धी बैनर स्थल पर नहीं था, बल्कि संचारी रोग व टीकाकरण आदि के बैनर लगे पाए गए। सत्र में उपस्थित ए०एन०एम० श्रीमती रशिम के पास बैनर उपलब्ध भी नहीं था।</p> <p>दवाईया बिखरी हुई पाई गई, कौन सी दवा खत्म हो गई है और नई शीशी कब खोलनी है, ए०एन०एम० के पास इसका रिकार्ड नहीं पाया गया।</p> <p>टीकाकरण का रजिस्टर व्यवस्थित रूप से नहीं भरा पाया गया तथा इसके बारे में ए०एन०एम० महोदया को पता होने के उपरांत भी सही करने का समय प्राप्त नहीं हो पा रहा। जैसा कि दल को ज्ञात हुआ कि उनका रजिस्टर ल्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा चेक किया जाता है।</p> <p>कुपोषित बच्चों को मापने वाला टेप ए०एन०एम० महोदया के पास नहीं था। दल को ज्ञात हुआ कि उनको टेप नहीं दिया गया है।</p> <p>सत्र में उपस्थित आशा राम मोहिनी शर्मा अपनी ड्रेस में नहीं थी।</p>	<p>सम्बन्धित बी०सी०पी०एम० द्वारा अवगत कराया गया कि उनको बैनर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य स्तरीय दल द्वारा डी०सी०पी०एम० को इस बारे में अवगत कराते हुए सत्र सम्बन्धी बैनर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>दवाईयां व्यवस्थित ढंग से रखवाई गई तथा ए०एन०एम० को दवाईयों उनकी एक्सपायरी तिथि के अनुसार उपयोग में लाने के विषय में बताया गया। सम्बन्धित बी०सी०पी०एम० को भी इसको नियमित चेक करने हेतु सुझाव दिया गया।</p> <p>राज्य स्तरीय दल द्वारा ए०एन०एम० महोदया को रजिस्टर के महत्व तथा सभी आवश्यक जानकारियां ससमय भरने एवं सम्बन्धित बी०सी०पी०एम० को रजिस्टर नियमित चेक करने हेतु सुझाव दिया गया। उक्त के साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों को भी अवगत कराकर दिया गया है।</p> <p>राज्य स्तरीय दल द्वारा सम्बन्धित बी०सी०पी०एम० को ए०एन०एम० को शीघ्र टेप उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • दल द्वारा आशा को उसकी ड्रेस के महत्व के बारे में बताया गया एवं अगली बार सत्र/चिकित्सा इकाई/क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अपनी ड्रेस में रहने हेतु सुझाव दिया गया। उक्त के सम्बन्ध में बी०सी०पी०एम० एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया कि वह समस्त आशाओं को सत्र/चिकित्सा इकाई/क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अपनी ड्रेस में रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। 	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी०सी०पी०एम०</p> <p>बी०सी०पी०एम० / ए०एन०एम०</p> <p>बी०सी०पी०एम० / ए०एन०एम०</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी०सी०पी०एम०</p> <p>प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी०सी०पी०एम०</p>

	<p>आशा के रजिस्टर के अवलोकन के दौरान पाया गया कि –</p> <ul style="list-style-type: none"> रजिस्टर व्यवस्थित रूप से नहीं भरा जा रहा है तथा विशेष परिवार संख्या कॉलम खाली पाए गए। गाँव में होने वाले बच्चों के जन्म का रिकार्ड एवं आशा डिस्ट्रिट भी ठीक प्रकार अद्युनात नहीं की जा रही थी। आशा के बैग में प्राप्त दबाईयों तथा परिवार नियोजन की अस्थाई गर्भ निरोध सामग्री गोली, कंडोम का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। 	<p>● राज्य स्तरीय दल द्वारा आशा को रजिस्टर का महत्व बताते हुए उसे नियमित रूप से अपडेट करने का कहा गया। साथ ही उपस्थित बी0सी0पी0एम० को भी इस बारे में स्वयं निरीक्षण करने एवं आशा संगिनी को इस सम्बन्ध में अभिमुखीकृत करने का सुझाव दिया।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी0सी0पी0एम०</p>
	<p>आशा द्वारा अगवत कराया गया कि उसको अभी तक अभिमुखी प्रशिक्षण तथा अन्तरा इंजेक्शन के सापेक्ष प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुई है।</p>	<p>राज्य स्तरीय दल द्वारा बी0सी0पी0एम० को सुझाव दिया गया कि वह तत्काल आशा के समस्त भुगतान सम्मय कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के सम्बन्ध में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया गया है। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि यथाशीघ्र आशाओं के समस्त भुगतान कर दिये जायेंगे।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी0सी0पी0एम०</p>
	<p>ग्राम भ्रमण के दौरान आशा द्वारा अगवत कराया गया कि गाँव में एक महिला का घर पर ही प्रसव हुआ है। अतः राज्य स्तरीय दल द्वारा आशा के साथ उस महिला के घर का भ्रमण किया गया। जानकारी प्राप्त हुई कि महिला का नाम राम देवी पत्नी श्री शंकर है। दिनांक 7 जुलाई 2019 को उसके अचानक प्रसव पीड़ा होने के कारण घर की महिलाओं द्वारा उसका घर पर ही प्रसव किया गया। मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। आशा उसके घर पर नियमित रूप से आती रहती है तथा उसका ए0एन0सी0 घेकअप नियमित रूप से हुआ है। उसका पहला बच्चा सरकारी चिकित्सा इकाई पर ही हुआ था।</p>	<p>दल द्वारा महिला एवं उसके पति को संस्थान प्रसव के महत्व के बारे में समझाया गया तथा ऐसी परिस्थिति में निःशुल्क 102 एम्बूलेंस का प्रयोग करने के तरीके के बारे में बताया गया ताकि दुबासा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो। साथ ही भ्रमण में उपस्थित बी0सी0पी0एम० व आशा को महिला को आवश्यक स्वास्थ सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया।</p>	<p>आशा/ए0एन0एम०/ बी0सी0पी0एम०</p>
	<p>आशा प्रशिक्षण – आशा VI-VII माड्यूल के चतुर्थ चरण का प्रशिक्षण का आशाओं को दिया जा रहा था। तीन प्रशिक्षकों द्वारा उक्त सत्रों का संचालन किया जा रहा था।</p>	<p>प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बी0सी0पी0एम० एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी को को प्रशिक्षण में सम्यानुसार उपस्थित रह कर सत्रों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने का सुझाव दिया गया।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी0सी0पी0एम०</p>

	<p>परिसर में दीवार लेखन बहुत पहले किया गया था। जो कि अब स्पष्ट नहीं दिख रहा था। परिसर में ही 30 पैड का मैटरनिटी विंग स्थापित किया गया था, जिसमें मात्र स्वास्थ्य से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।</p> <p>प्रसव कक्ष –</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रसव रजिस्टर पर सूचनाएं विधिवत् अंकित नहीं थीं। • एम०सी०टी०एस. संख्या दर्ज नहीं थी, जबकि भुगतान किया जा रहा था। रजिस्टर के अंत में दी गई मासिक सारांश प्रपत्र को प्रतिमाह अद्युनांत नहीं किया जा रहा है। उपरिथित स्टाफ नर्स द्वारा बताया गया कि टी०एस०य० की नर्स मैटर सुश्री नूतन द्वारा मौखिक रूप से उनको ऐसा करने से मना किया गया है। • रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया। • सप्लाई न हो पाने के कारण नवजातों को विटामिन के—1 नहीं दिया जा रहा था। • अन्तरा गर्भ निरोधक रजिस्टर रिकार्ड व्यवस्थित रूप से नहीं भरा गया था। उसके फालोअप रिकार्ड पर सम्बन्धित व्यक्ति एवं आशा के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए। • प्रसव कक्ष में गर्भवती महिला उपरिथित होने के कारण उसका निरीक्षण नहीं किया जा सका। कक्ष का सिर्फ बाहर से ही अवलोकन किया गया – <ul style="list-style-type: none"> ➢ कैलिस पैड पिचके हुए दिखे। ➢ कमरे में पंखा तो था, किन्तु काफी उमस और घुटन थीं ➢ प्रसव कक्ष के बाहर बने वाश बेसिन पर ही झाड़ू रखी हुई पाई गई। 	<ul style="list-style-type: none"> • दीवार लेखन हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया। • उपरिथित स्टाफ नर्स को प्रसव रजिस्टर में वाइत समरत सूचनाओं को विधिवत् एवं समय से भरने हेतु सुझाव दिया गया। • बी०सी०पी०एम० एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी को नर्स मैटर द्वारा स्टाफ नर्स को दिये गये गलत सुझाव के बारे में अवगत कराया गया गया। • रेफरल रजिस्टर में समरत आवश्यक सूचनाओं को अद्युनात/अंकित करने हेतु सम्बन्धित को सुझाव दिया गया। • उक्त के सम्बन्ध में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत करा दिया गया है। • रजिस्टर में समरत आवश्यक सूचनाओं को अद्युनात/अंकित करने हेतु सम्बन्धित को सुझाव दिया गया। • कैलिस पैड की उपयोगिता के सम्बन्ध में स्टाफ नर्स को बताया गया। स्टाफ नर्स द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह भविष्य में कैलिस पैड को फुलाकर रखेगी। • दल द्वारा झाड़ू को बेसिन से हटवाकर इकाई के बाहर रखवाया गया। उक्त के साथ ही सम्बन्धित स्टाफ को बताया गया कि प्रसव कक्ष में झाड़ू लगाना अथवा रखना निषेध है। 	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी / बी०सी०पी०एम० / स्टाफ नर्स</p>
--	--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रसव कक्ष के पास बने शौचालय में साफ सफाई नहीं पाई गई। ● जे०ए०वा०वाई वार्ड ➤ जे०ए०वा०वाई वार्ड में 2 महिलाएं ही भर्ती थीं जो कि सुबह ही प्रसव हेतु आई थीं। ➤ कक्ष में साफ सफाई, बेड शीट ठीक पाई गई। ➤ महिलाओं से बात करने पर ज्ञात हुआ कि उनको जे०ए०वा०वा०के० डाईट के अन्तर्गत नाश्ता एवं भोजन दिया जा रहा है। ➤ वार्ड में उपस्थित आशा अपनी ड्रेस में नहीं थी। 	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रसव कक्ष के समीप के शौचालय की सफाई दिन में तीन बार कराने हेतु बी०सी०पी०ए० मो को सुझाव दिया गया। 	
	<p>ए०ए०न०सी०य० वार्ड :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वार्ड में वर्तमान में कोई नवजात भर्ती नहीं था। ● वार्ड में लगी मशीनों में से एक मशीन काम नहीं कर रही थी। 	<ul style="list-style-type: none"> ● डल द्वारा आशा को उसकी ड्रेस के महत्व के बारे में बताया गया एवं अगली बार सत्र/चिकित्सा इकाई/क्लीनी भ्रमण के दौरान अपनी ड्रेस में रहने हेतु सुझाव दिया गया। 	प्रभारी चिकित्साधिकारी/ बी०सी०पी०ए०
	<p>मेडिसिन स्टाक</p> <ul style="list-style-type: none"> ● चीफ फार्मासिस्ट की उपस्थिति में उपलब्ध दवाईयों का स्टाक का अवलोकन किया गया, जो कि रिकार्ड के हिसाब से सही पाया गया। ● परिसर की ओ०पी०डी० में मेडिसिन स्टाक बोर्ड लगाया गया था, किन्तु वर्तमान में उपलब्ध स्टाक/दवा का विवरण उल्लेखित नहीं किया गया था। ● दवा वितरण कक्ष में दवाईया अव्यवस्थित रूप से पड़ी हुई पाई गई। ● कक्ष में पर्याप्त साफ सफाई भी नहीं मिली। 	<ul style="list-style-type: none"> ● फार्मासिस्ट को मेडिसिन स्टाक बोर्ड पर प्रतिदिन औषधियों की उपलब्धता अद्युनात करने का सुझाव दिया गया। ● फार्मासिस्ट को औषधियों को व्यवस्थित तरीके से रखने हेतु सुझाव दिया गया। ● कक्ष में पर्याप्त साफ-सफाई कराने हेतु सुझाव दिया गया। 	प्रभारी चिकित्साधिकारी/ फार्मासिस्ट/ बी०सी०पी०ए०
	<p>प्रयोगशाला</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रयोगशाला में साफ सफाई नहीं थी। प्रयोगशाला की अलमारियों पर धूल जमा थी। लैब टेक्नीशियन द्वारा पी०पी०इ० का यथोचित प्रयोग नहीं किया जा रहा था। 	<p>लैब टेक्नीशियन को साफ-सफाई का महत्व बताया गया। उक्त के साथ ही पी०पी०इ० के प्रयोग करने के लाभ एवं न प्रयोग करने से होने वाली स्वास्थ्य हानियों के विषय में बताया गया।</p>	प्रभारी चिकित्साधिकारी/ बी०सी०पी०ए० / लैब टेक्नीशियन

		प्रभारी चिकित्साधिकारी – डा० अनुभव कुमार,	बी०सी०पी०एम० – अमित श्रीवास्तव	
		राज्य स्तरीय दल द्वारा चिकित्सालय में उपस्थिति पंजिका मांगी गई, जो कि नहीं दिखाई गई।	दल द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई तथा भविष्य में ऐसा न करने का कहा गया।	
		परिवार नियोजन –	प्रभारी चिकित्साधिकारी/ बी०सी०पी०एम०	
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ददरौल	<ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में जारी विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़े पर जनमानस को जागरूक करने एवं गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध कराने हेतु ३०पी०डी० में स्टाल लगाया गया था, जिस पर अर्श काउंसलर उपस्थित था। अतः अर्श काउंसलर द्वारा ही पखवाड़े से सम्बन्धित जिम्मेदारियों का वहन किया जा रहा है। उसको परिवार नियोजन के विषय में भी भली भांति जानकारी नहीं थी। विश्व जनसंख्या पखवाड़ा दिवस का आयोजन 27.07.19 को किया जाना प्रस्तावित है। आगामी एक सप्ताह में 4 से 5 पुरुष नसबंदी कराए जाने की योजना है। दल के संज्ञान में लाया गया कि हर बार नसबंदी कैम्प का नियोजन किया जाता है, किन्तु सर्जन की कमी के कारण अभी तक कैम्प एवं नसबंदी नहीं की जा सकती है। 	<ul style="list-style-type: none"> दल द्वारा जनसंख्या दिवस पखवाड़े पर जनमानस को जागरूक करने एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अर्श काउंसलर को परिवार नियोजन पर व्यापक अभिमुखीकृत करने का कहा गया, जिससे सही जानकारी जनमानस के मध्य पहुचं सके। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से नसबंदी कैम्प को सफल बनाने हेतु एक लैप्रो सर्जन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया, जिससे जनमानस हेतु सेवाएं प्रभावित न हो। 	
		<ul style="list-style-type: none"> ३०पी०डी० में कण्डोम बाक्स लगा हुआ था, किन्तु उसमें कण्डोम भरे हुए नहीं थे। 	दल द्वारा जनसंख्या दिवस पखवाड़े के दृष्टिगत नियमित रूप से कण्डोम भरे जाने हेतु सम्बन्धित को सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी/ बी०सी०पी०एम० / स्टोर इंचार्ज
		लेवर कक्ष – <ul style="list-style-type: none"> लेवर कक्ष में महिलाओं का प्रसव होने के कारण कक्ष का भ्रमण नहीं किया जा सका। पार्टीग्राफ पर अंकन किया जा रहा था पर प्रसव पश्चात लाभार्थियों के घर जाते समय उनसे कन्सेन्ट फार्म पर हस्ताक्षर ले लिए गये थे परन्तु उसमें कुछ भी लिखा नहीं गया था। प्रसव रजिस्टर पर सूचनाएं विधिवत अंकित नहीं की जा रही थीं। 	<ul style="list-style-type: none"> नर्स मैंटर को बताया गया कि पार्टीग्राफ के कन्सेन्ट फार्म में लाभार्थी द्वारा दी गयी सहमति को लिखने के बाद ही लाभार्थी के हस्ताक्षर कराये जाये। टी०एस०य० की नर्स मैंटर सुश्री प्रियंका रानी से इस बारे में बात की गई किन्तु कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। 	प्रभारी चिकित्साधिकारी/ बी०सी०पी०एम० / स्टाफ नर्स

	<ul style="list-style-type: none"> एम०सी०टी०एस. संख्या दर्ज नहीं थी, जबकि मुगतान किया जा रहा था। रजिस्टर के अंत में दी गई मासिक सारांश प्रपत्र को नियमित तौर पर अद्युनांत नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार पी०पी०आई०य०सी०डी० रजिस्टर में भी सूचनाएं विधिवत रूप से अंकित नहीं पाई गई। आई०य०सी०डी० संख्या कही भी दर्ज नहीं पाई गई। उसकी जगह इनडोर सं. दर्ज की जा रही थी। मात्र एक कॉलम में ही सं० दर्ज पाई गई। अन्तरा रजिस्टर एवं रिकार्ड की पिंग दयनीय स्थिति में पाया गया। जिन लाभार्थियों ने अन्तरा साधन अपनाया था एवं जो आशाएं उनको लेकर आई थीं, उनका इंसेटिव रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं पाया गया। 	<ul style="list-style-type: none"> दल द्वारा भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार रजिस्टर में सूचनाएं विधिवत अंकित किए जाने हेतु उपरिष्ठ स्टाफ नर्स/नर्स मेन्टर को निर्देशित किया गया। दल द्वारा उपरिष्ठ स्टाफ नर्स को बताया गया कि जिस महिला को जो आई०य०सी०डी० लगाई जाती है, उसमें एक सं० दी होती है, वही सं० रिकार्ड में अंकित होगी जिससे पता चल सके किस महिला को आई०य०सी०डी० लगाई गई है। साथ ही समस्त रजिस्टर एवं रिकार्ड सही प्रकार से रखने हेतु समस्त स्टाफ नर्सों को निर्देशित किया गया। दल द्वारा समस्त रिकार्ड विशेषकर इंसेटिव रिकार्ड रजिस्टर में अंकित करने एवं सम्बन्धित आशा को मुगतान नियमित रूप से करने हेतु स्टार्फ नर्स को निर्देशित किया गया।
	<p><u>जे०ए०स०वाई० वार्ड</u></p> <ul style="list-style-type: none"> वार्ड में पर्याप्त साफ सफाई मिली। बैठ पर बिछी चादरें साफ पाई गई। पंखे एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था मिली। जे०ए०स०वाई० वार्ड में भर्ती महिलाओं से पूछने पर पता चला कि उनको नाश्ता एवं खाना मिल रहा है। शौचालय में पर्याप्त साफ सफाई नहीं मिली। वार्ड में मातृत्व स्वास्थ्य से जुड़े पोस्टर का प्रदर्शन व्यापक रूप से किया गया था। साथ ही मातृत्व स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी फिल्म का प्रदर्शन भी किया जा रहा था। रसोई दल द्वारा रसोई का भ्रमण किया गया तथा वहां भर्ती मरीजों हेतु खाने का चेक किया गया। खाने की गुणवत्ता सही पाई गई। मानकानुसार साप्ताहिक डाईट चार्ट नहीं लगा पाया गया। 	<ul style="list-style-type: none"> दल द्वारा उक्त व्यवस्थाओं की सराहना की गई। शौचालय को नियमित रूप से प्रत्येक दिन तीन बार साफ कराने का सुझाव दिया गया। साप्ताहिक डाईट चार्ट की एक प्रति रसोई तथा वार्ड में लगाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

<p>आरोबी०एस०के० टीम पर्यवेक्षण,</p> <p>स्थान— कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, शाहबाज नगर ददरौल,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • टीम द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी के साथ आरोबी०एस०के० टीम का भ्रमण किया गया। • स्थल पर टीम -2, डॉ वैभव रस्तोगी तथा किरण देवी स्टाफ नर्स उपस्थित थी। • प्रत्येक माह में एक बार टीम विद्यालय का भ्रमण करती है। • विद्यालय में, 100 बालिकाएं आवासीय हैं। • वार्डन कक्ष में 08 सी०सी०टी०बी० कैमरे लगाए गए हैं, जिससे पूरे विद्यालय की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। • मेडिसिन बाक्स चेक किया गया, जिसमें अगले माह होने वाली एक्सपायरी दवाएं भी रखी मिली। • विद्यालय भ्रमण के दौरान पाया गया कि, जो बच्चे त्वचा की बीमारी -स्केबिस आदि बरसाती बीमारी से ग्रसित थे, उनको स्वस्थ बच्चों से अलग रखने हेतु विद्यालय की वार्डन को निर्देशित किया गया जिससे अन्य बच्चों को उस बीमारी से बचाया जा सके। • किन्तु परिसर में रखे पुराने टायरों में पानी भरा हुआ था, जिससे मच्छर के लार्वा थे। • जिस टंकी में पीने का पानी रखा जाता है, उसमें काफी गंदगी और मच्छर थे। • परिसर में हरियाली अधिक होने के कारण मच्छर काफी थे। 	<ul style="list-style-type: none"> • राज्य स्तरीय दल द्वारा टीम को मानकनुसार एक्सपायरी दवाएं अलग रखने एवं नियमित रूप से दवाई का बाक्स चेक करते रहने हेतु निर्देशित किया गया। • जो बच्चे त्वचा की बीमारी -स्केबिस आदि बरसाती बीमारी से ग्रसित थे, उनको स्वस्थ बच्चों से अलग रखने हेतु विद्यालय की वार्डन को निर्देशित किया गया जिससे अन्य बच्चों को उस बीमारी से बचाया जा सके। • चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा परिसर में रखे पुराने टायरों एवं अन्य खरब पड़े पानी के बर्तनों को परिसर से बाहर फिकवाया गया। वार्डन को पानी की टंकी की नियमित सफाई कराने हेतु कहा गया, जिससे बच्चों को स्वच्छ पानी पीने को मिले। • परिसर में कीटनाशक एवं दवाई का छिड़काव हेतु वार्डन को सुझाव दिया गया जिससे मच्छर/बीमारी न फैले व बच्चे रोगग्रस्त न हो। • आरोबी०एस०के० टीम को बच्चों को हैण्ड वॉश के सम्बन्ध में प्रत्येक माह प्रशिक्षण देने हेतु सुझाव किया गया, जिससे वह हेल्थ और हाइजिन के महत्व को समझें और स्वास्थ्य रहें। 	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी/ आरोबी०एस०के० टीम</p>
--	---	--	---

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण की फोटो



यौ०ए०न०ड०० सत्र, ग्राम याकूबपुर



आशा अभियुक्तिकरण बैठक, सी०ए०स००, जलालाबाद



जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, सी०ए०स००, ददरौल



आर०बी०ए०स०० के टीम, कस्तूरबा विद्यालय, शाहबाज नगर



प्रसव कक्ष, मैटरनिटी विंग, सी०ए०स००, जलालाबाद

